

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1042/तक/म0प्र0ग्रासप्रा/2019

बालाघाट दिनांक 21/06/2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- जिला बालाघाट अन्तर्गत बैहर विकासखंड में अतरचुआ से बजगोंदी मार्ग निर्माण/उन्नयन हेतु वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।

महोदय,

निवेदन है कि जिला बालाघाट के बैहर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी. 01-223 अतरचुआ से बजगोंदी मार्ग का निर्माण/उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना। उक्त मार्ग निर्माण में 0.96 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग के निर्माण/उन्नयन कार्य होने से यहाँ के रहने वाले आदिवासी, ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होने से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास होगा।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।



महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृष्ठा क्र. 1043/तक/म0प्र0ग्रासप्रा/2019

बालाघाट दिनांक 21/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।



महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट